न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 29 / 2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022 / 80

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
लुंगादेवी पुत्री नेती उर्फ नेथी पत्नी नेतीराम वगैरह	पार्वती देवी पत्नी नगाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.08.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा व प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 3, 8 लगायत 15 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 03.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुड़ा में प्रार्थीगण की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खाता संख्या 208 खसरा नंबर 385, 455 जुमले रकबा 6.05 हैक्टेयर खेत खाता संख्या 122 खसरा नंबर 459 जुमले रकबा 3. 89 हैक्टेयर खेत खाता संख्या 125 के खसरा संख्या 580 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खेत खाता संख्या 124 के खसरा नंबर 458, 460 जुमले रकबा 1.60 हैक्टेयर, खेत खाता संख्या 123 के खसरा नंबर 556, 557, 572 / 693 जुमले रकबा 6.54 हैक्टेयर की आई हुई है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम कुड़ा के नवीन खेत खसरा नंबर 385, 455, 459, 580, 458, 460, 556, 557, 572 / 693 पुराने खेत खसरा नंबर 160, 189 से दौराने द्वितीय सेटलमेंट नवसृजित किए है। नकल मिलान क्षैत्रफल सलंग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण का 2 / 6 हिस्सा खातेदारी हक हकूक का बनता है तथा मौके पर 2 / 6 हिस्सा पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है। हमारे बन्ट व कब्जासुदा की भूमि पर प्रार्थीगण स्वंतत्रापूर्वक अपनी मनमर्जी माफिक काश्त कर रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने षड़यंत्रपूर्वक हमारी खातेदारी भूमि विधि विरूद्व रूप से अपने नाम से हमारे नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि दर्ज नही करवाई। जिससे आहत होकर उक्त दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया जा चुका है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी, कब्जासुदा खातेदारी भूमि है तथा मौके पर वक्त पिढ़ियों से लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला हमारे पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खाद वगैरह डालकर समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है। इस प्रकार सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अगर हमें हमारे कब्जा सुदा व खातदेारी की भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व से बेदखल करने में सफल हो गए या आगे से आगे वादग्रस्त आराजी का बैचान कर हस्तांतरण कर दिया तो हमे अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृव्य में किया जाना मुमकिन नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वांके मौजा सरहद ग्राम कुड़ा में प्रार्थीगण की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खाता संख्या 208 के खसरा नंबर 385, 455 जुमले रकबा 6.05 हैक्टेयर खेत खाता संख्या 122 खसरा नंबर 459 जुमले रकबा 3.89 हैक्टेयर खेत खाता संख्या 125 के खसरा संख्या 580 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खेत खाता संख्या 124 के खसरा नंबर 458, 460 जुमले रकबा 1.60 हैक्टेयर, खेत खाता संख्या 123 के खसरा नंबर 556, 557, 572/693 जुमले रकबा 6.54 हैक्टेयर हमें इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावें कि उक्त वादग्रस्त आराजी में हमारे उपयोग व उपभेग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। आगे किसी को बैचान या हस्तांतरण नहीं कर रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम कुड़ा पटवार हल्का सरनाउ के खेत खसरा नंबर 385 व 455 जुमले रकबा 6.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459 रकबा 3.89 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 458, 460 जुमले रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 556, 557, 572/693 जुमले रकबा 6.54 हैक्टेयर खातेदारी भूमि के संबंध में बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **03.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर